

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-प.2 (सब) 3493/आ.कृ./गुप-9/

दिनांक

संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार)
भीलवाड़ा खण्ड भीलवाड़ा।

विषय:- श्री गोविन्द लाल शर्मा, सहायक कृषि अधिकारी का
ए.सी.पी.स्वीकृत करने बाबत।

प्रसंग:- सहायक निदेशक कृषि (वि) कपासन का पत्र क्रमांक
5330-31 दिनांक 06.01.2022।

सहायक निदेशक कृषि (वि) कपासन के पत्र क्रमांक 5330-31 दिनांक
06.01.2022 से श्री गोविन्द लाल शर्मा, सहायक कृषि अधिकारी का 18 वर्षीय
ए0सी0पी0 स्वीकृति करने हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है। उक्त प्रार्थना में निम्न
अनुसार कमियां हैं:-

1. ए.सी.पी.स्वीकृत करने की दिनांक 27.12.2014 से गत सात वर्षों के
गोपनीय प्रतिवेदन के आधार पर रेटिंग की सूचना संलग्न नहीं है।
2. खण्ड कार्यालयस्तर पर इनके विरुद्ध किसी प्रकार की जांच नहीं चल
रही है/लम्बित नहीं है/दण्ड दिया गया है अथवा नहीं की सूचना।
अतः उक्त सूचना उपलब्ध करावे।

(कैलाश चंद मीना)
संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)

क्रमांक:-प.2 (सब)आ.कृ./3493/गुप-9/18964-66

दिनांक 31/03/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सहायक निदेशक कृषि (वि) कपासन को भेजकर लेख है कि श्री गोविन्द लाल
शर्मा, सहायक कृषि अधिकारी की ए0सी0आर0 की रेटिंग एवं खण्ड कार्यालय से
जांच रिपोर्ट एवं सेवा-पुस्तिका आयुक्तालय को उपलब्ध कराये।
2. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर मु.जयपुर को विभागीय वेबसाइट एवं सम्बन्धित कार्यालय
की मेल आई.डी. पर अपलोड करने हेतु।

(बी0एल0कुमार्त)
उप निदेशक कृषि (प्रशासन)